UPAL010119802022

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Judge (POCSO) Court No. 01, Aligarh

पीठासीन अधिकारी– (अनिल कुमार VIII), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**

J.O. Code – UP06492

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–2239/2022

राज्य

बनाम

1. सौरभ पुत्र श्री सुधीर उर्फ मटोली, निवासी बिसारा थाना खैर जिला अलीगढ़।

मुकदमा अपराध संख्या –54/2021
धारा–376, 323 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
थाना–खैर, जिला– अलीगढ़।

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण वाद, थाना–खैर, जिला अलीगढ़, में प्रथमसूचक की तहरीर प्रदर्श क–1, दिनाक 01–02–2021 के आधार पर अभियुक्त सौरभ व दो अन्य अज्ञात के विरूद्व थाना खैर जिला अलीगढ़, में अन्तर्गत धारा 376डी, 323 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, के अन्तर्गत दिनांक 01–02–2021 को समय 16:16 बजे प्रथमसूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचक द्वारा अपराध का कोई साक्ष्य नहीं होना पाते हुये अंतिम आख्या संख्या 19/2021 प्रेषित की गई। विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–09–2022 द्वारा निरस्त करते हुये अभियुक्त सौरभ के विरूद्व अन्तर्गत धारा 376, 323 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, के अपराध के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया और प्रश्नगत प्रकरण में विचारण किया गया।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च्व न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं व दिशा–निर्देशों के अनुपालन में इस निर्णय में पीड़िता के नाम के स्थान पर मात्र "पीड़िता" शब्द प्रयुक्त किया जायेगा।

3 संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा ने थाना प्रभारी खैर, जिला अलीगढ़ को इस आशय की तहरीर दी कि घटना दिनांक 01–02–2021 के समय करीब 08:30 बजे के लगभग का है कि वादी मुकदमा की पुत्री उम्र लगभग 15–16 वर्ष अपने घर से प्रेमपाल पुत्र हेतराम के खेत के पास रास्ता के किनारे गोबर डालने गई थी, उसी समय उसकी पुत्री को सौरभ पुत्र सुधीर

उर्फ मंटोली, निवासी बिसारा, थाना खैर, जिला अलीगढ़, व उसके दो अन्य साथी प्रेमपाल के लाहा के खेत में जबरन पकड़ के ले गये, सौरभ ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया व अन्य दो लड़को ने हाथ पकड़े, जिस समय सौरभ उसकी पुत्री के साथ बलात्कार कर रहा था तो उसकी चीख निकली, लड़को की चीख सुनकर वहाँ पर नईम पुत्र सलमू निवासी बिसारा पहुँचा, और उसके पहुँचने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसके कपड़े भी फाड़ दिये। इनका शोर सुनकर गॉव बिसारा के अन्य व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गये। इस घटना के सम्बंध में उसने पुलिस को 112 नम्बर पर फोन किया तो पुलिस वाले गाड़ी को लेकर मौके पर पहुँच गये और यह कहकर चले आये कि सभी थाने आ जाओ। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26–09–2022 द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात प्रश्नगत मामलें को विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या 2239/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 10–07–2024 द्वारा अभियुक्त सौरभ के विरूद्ध धारा 376, 323 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, के अपराध का आरोप विरचित किया गया, जिसे मानने से अभियुक्त ने इंकार किया व विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराते हुए निम्न अभिलेख व साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

क्रमांक	दस्तावेजीय साक्ष्य	साक्षी	प्रदर्श
1	तहरीर रिपोर्ट	पी0डब्लू–1 प्रथमसूचक	क–1
2	कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/2 एफ0आर0 संख्या 19/21, नक्शा नजरी, कागज संख्या 4क/1 धारा 182 भा0द0सं0, कागज संख्या 4क/2 जुर्म खारिजा रिपोर्ट, चिक एफ0आई0आर0 व जी0डी0 कायमी मुकदमा	पी0डब्लू0–02 निरीक्षक योगेन्द्र कुमार	क्रमशः क–2, 3, 4, 5, 6 व 7
3	कागज संख्या 8क/6 परीक्षण रिपोर्ट	पी0डब्लू0–03 डॉक्टर नाजिया खान	क–8
4	स्लाईड रिपोर्ट	पी0डब्लू0–04 डॉक्टर रश्मि रानी	क–9
5	बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0	पी0डब्लू0–05 पीड़िता	क–10
6	–––	पी0डब्लू0–06 नईम	––––
7	चिकित्सक अभिमत बावत आयु पीड़िता	पी0डब्लू0–07 डॉक्टर खानचन्द्र	क–11
8	एक्सरा रिपोर्ट	पी0डब्लू0–08 डॉक्टर निर्मल सिंह	क–12

9	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट बावत पीड़िता	पी0डब्लू0–09 डॉक्टर अमित कुमार	क–13

6. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मामले में कुल 09 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। तत्पश्चात पारित आदेश दिनांक 09–09–2025 द्वारा अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि घटना गलत है तथा एफ0आई0आर0 अभियुक्तगण के विरूद्व झूॅठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। विवेचनाधिकारी ने विवेचना के सम्बंध में गलत विवेचना कर गलत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पी0डब्लू0–01 के सन्दर्भ में अभियुक्त ने कथन किया है कि पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में उसका नाम नहीं लिया है, पी0डब्लू0–02 के सन्दर्भ में अभियुक्त ने कथन किया है कि उसके विरूद्व झूॅठी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी थी, जिसमें एफ0आर0 लगी थी, पी0डब्लू0–03, के सन्दर्भ में अभियुक्त ने कथन किया है कि अन्य लोगों के बताये अनुसार लिखा पढ़ी किया था, पी0डब्लू0–04 के सन्दर्भ में अभियुक्त ने कुछ न कहे जाने का कथन किया है, पी0डब्लू0–05 के सन्दर्भ में अभियुक्त ने कथन किया है कि पीड़िता ने उसके विरूद्व बयान नहीं दिया है, पी0डब्लू0–06 के सन्दर्भ में अभियुक्त ने उसके विरूद्व बयान न दिये जाने का कथन किया है, पी0डब्लू0–07 के सन्दर्भ में अभियुक्त ने कथन किया है कि पीड़िता बालिग थी एवं पी0डब्लू0–08 के सन्दर्भ में अभियुक्त ने कथन किया है कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 19 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने मुकदमा गॉव की पार्टीबंदी होने के कारण चलने का कथन किया है। यह भी कथन किया है कि उसके पिता पूर्व में प्रधान का चुनाव लड़े थे, वह चुनाव के प्रत्याशी थे इसलिये पार्टीबंदी के कारण यह मुकदमा लिखा है। प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कथन किया है, किन्तु बचाव पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदत्त दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

8. प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त सौरभ पर वादी मुकदमा की पुत्री के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर उसकी इच्छा के विरूद्व जबरन बलात्संग कर लैंगिक हमला कारित किये जाने के आरोप है।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन के तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–01 राजू खॉ, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त घटित घटना में पीड़िता के शरीर पर चोटें होना पायी गई, जिसकी सम्पुष्टि अभियोजन के साक्षी पी0डब्लू0–08 डॉक्टर निर्मल सिंह एवं

साक्षी पी0डब्लू0–09 द्वारा अपनी साक्ष्य कार्यवाही के माध्यम से किया गया है। अतएव अभियुक्त दोषसिद्व किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है तथा अभियुक्त को गॉव की पार्टीबंदी के कारण फर्जी रूप से फंसाया गया है। अतएव अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. आपराधिक मामलें में विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि उनके द्वारा अभियुक्त के विरूद्व विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जायें। न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने इस दायित्व के निर्वहन में सफल रहे अथवा नहीं।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगणों के बयान का महत्वपूर्ण अंश निम्नवत् है।

13. अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप को साबित किये जाने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–01 राजू खॉ, प्रथमसूचक, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, घटना साढ़े तीन चार वर्ष पूर्व की है, जाड़े में सुबह साढ़े आठ बजे उसकी लड़की 15–16 वर्ष की चार– पॉच में पढ़ रही थी, वह गोबर डालने गई थी, वह प्रेमपाल के खेत के पास सौरभ व दो अज्ञात लड़के लाह के खेत में खींच कर ले गये व जबरदस्ती बुरा काम किया, उसकी चीख पर उसके भांजे नईम पहुॅचा व देखा कि लड़की के कपड़े फटे हुये थे, मौके पर गलत काम करते हुये देखा, गाली गलौज करते हुये भाग गये, नईम ने पकड़ना चाह, तो मारपीट कर उसके कपड़े भी फाड़ दिया, 112 पर फोन किया, पुलिस आई थाने गई, तब टाइप कराकर बोलकर सुनकर अगूॅठा लगाकर थाने में दी थी, मुकदमा दर्ज हुआ 5क तहरीर है, शिनाख्त करता हूॅ, प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस ने उससे व पीड़िता से पूछताछ की, धारा 164 द0प्र0सं0 व डॉक्टरी भी हुआ था। वह लड़की है, डरा धमकाकर झॅूठा बयान कराया था, फिर पुलिस ने घर आकर मुआयना भी किया था।

जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसका धारा 164 द0प्र0सं0 का बयान नहीं हुआ। कथित घटना के समय वह अपने घर पर था, उसने घटना नहीं देखी, उसकी बेटी का बयान धारा 164 द0प्र0सं0 हुआ था। यह सही है कि पुलिस ने मुकदमा झॅूठा पाते हुये एफ0आर0 लगाई थी। न्यायालय में दिनांक 30–09–21 को शपथपत्र दाखिल किया था, उसमें अंतिम आख्या को स्वीकृत कराने का प्रार्थनापत्र दिया था। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया। सी0डी0–1 दिनांक 02–02–2021 को जो बयान लिखा है, वह बयान उसने नहीं दिया है। उसके गॉव में पार्टीबंदी है। एक पार्टी बंटी की है, एक कप्तान की है और भी पार्टी है। इनमें आपस में मर्डर बाजी भी चल रही है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि आपस में मुकदमें दर्ज कराते है या नहीं। सौरभ झगड़े के समय बंटी की पार्टी में था। यह कहना गलत है कि पार्टी बंदी की वजह से झॅूठा मुकदमा दर्ज कराया

हो। यह बात सही है कि उसने न्यायालय में एफ0आर0 स्वीकृत हेतु दिनांक 21–10–21 को भी प्रार्थनापत्र दिया था। उसे अब नहीं पता सौरभ कौन सी पार्टी में है। यह कहना गलत है कि गॉव की पार्टीबंदी की वजह से झूॅठी एफ0आई0आर0 सौरभ के विरूद्व दर्ज करायी थी। यह भी गलत है कि आज वह न्यायालय में झूॅठी गवाही दे रहा है।

14 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–02 योगेन्द्र कुमार, निरीक्षक, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसने मुकदमा अपराध संख्या 54/2021, की विवेचना दिनांक 02–02–2021 को ग्रहण की थी, मुकदमा अपराध संख्या 376डी, 323 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम सौरभ आदि दो अन्य ग्रहण की थी। सी0डी0 का प्रथम पर्चा उक्त दिनांक को ही किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, बयान वादी मुकदमा, बयान गवाह चश्मदीद नईम, बयान पीड़िता, निरीक्षण घटनास्थल किया, सी0डी0–2 दिनांक 05–02–2021 को किता की, जिसमें अवलोकन मैडीकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट व अवलोकन आन्तरिक परीक्षण रिपोर्ट पीड़िता का किया गया। सी0डी0–3 दिनांक 11–02–21 को किता किया, जिसमें पीड़िता के बयान धारा 164 द0प्र0सं0 न्यायालय जाकर अंकित कराया गया, लेकिन अवलोकन नहीं हो सका, सी0डी0–4 दिनांक 19–02–21 को किता किया, जिसमें बयान अवलोकन पीड़िता धारा 164 द0प्र0सं0 किया, जिसमें पीड़िता ने अपने साथ कोई गलत काम होने से इंकार किया तथा पीड़िता की आयु परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें पीड़िता की उम्र 16–17 वर्ष अंकित है, सी0डी0–5 दिनांक 21–02–2021 को किता किया, जिसमें मजीद बयान पीड़िता अंकित किया गया, पीड़िता के बयान धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 में विरोधाभाष होने के कारण पीड़िता के मजीद बयान अंकित किये, पीड़िता ने कहा कि उसका मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुये थे, वह सही है, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई, जो उसने पुलिस के सामने बयान दिया था, वह उसने गॉव वालों के दबाव में दिया था, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई, कोई छेड़छाड़ या गलत काम नहीं हुआ, फिर उसने मजीद बयान वादी राजू का अंकित किया, जिसमें वादी ने कहा कि उसने मुकदमा गॉव वालों के कहने पर लिखा दिया था, जबकि उसकी बेटी के साथ कोई गलत काम बलात्कार नहीं हुआ। यह बात उसे बाद में जानकारी हुई थी, यह बात उसे पीड़िता ने भी बाद में बताया था, इसी पर्चे में गवाह नईम का मजीद बयान अंकित किया, जिसमें गवाह ने बताया कि सौरभ व विवेक आपस में लड़ रहे थे, वहीं मामा की लड़की फातिमा गोबर पाथ रही थी, वह भी आवाज सुनकर मौके पर पहुॅच गया था, गॉव वालों ने झूठी अफवाह उड़ा दी कि पीड़िता के साथ सौरभ आदि छेड़छाड़ कर रहे है, इसी वजह से उसने गॉव वालों के बहकावे आकर बढ़ा चढ़ाकर पूर्व में बयान दे दिया था, जबकि पीड़िता के साथ कोई छेड़छाड़ या गलत काम की कोई घटना नहीं हुई। हमारे गॉव में पार्टीबंदी के कारण ही यह मुकदमा लिखवाया गया था। गॉव पार्टीबंदी चल रही है। सी0डी0–6 दिनांक 26–02–21 को किता किया, जिसमें नकल Vaginal

Smear report व बयान डॉक्टर नाजिया अंकित किया, तमामी विवेचना उपरान्त बयान धारा 161, 164 द0प्र0सं0 व मजीद बयान पीड़िता वादी व मजीद बयान गवाह व डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट आदि से अपराध का होना नहीं पाया गया। नामजद अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। जिसमें अंतिम आख्या रिपोर्ट संख्या 19/2021 जुर्म खारिजा समाप्त की गई। धारा 182 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट अलग से प्रेषित की गई। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/2 एफ0आर0 संख्या 19/2021 वही कम्प्यूटराइज्ड है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता हूँ, प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 6क वही नक्शा नजरी है, जो उसने वादी की निशानदेही पर स्वयं अपने हस्तलेख में तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, प्रदर्श क–3 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4क/1 धारा 182 भा0द0सं0 की कार्यवाही वादी के खिलाफ की गई। पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर हस्ताक्षर है, जिसको वह शिनाख्त करता है, प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4क/2 जुर्म खारिजा रिपोर्ट है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, प्रदर्श क–5 डाला गया। महिला कॉ0. 2651 संगीता देवी उसके साथ तैनता रही है, जिनको उसने लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर व टाइप करते देखा है, उन्होने दिनांक 01–02–2021 को समय 16:16 बजे मुकदमा अपराध संख्या 54/21 दर्ज किया था, जो चिक एफ0आई0आर0 5क/1 लगायत 5क/2 पत्रावली पर मौजूद है जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता हूँ, प्रदर्श क–6 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 28 समय 16:16 बजे दिनांक 01–02–2021 को खुलासा कर किता किया गया, शिनाख्त करता हूँ, प्रदर्श क–7 डाला गया। विद्वान बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन किया गया है

15 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–03 डॉक्टर नाजिया खान द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 01–02–2021 को आपातकालीन ड्यूटी एम0एल0जी0 अस्पताल में थी, शाम 06:15 पर पीड़िता पुत्री राजू खान उम्र 17 वर्ष एल0सी0 2598 मनीषा के द्वारा मैडीकल परीक्षण को लाई थी। निशानी चिन्ह व अगूँठा लिया गया। पीड़िता के अनुसार मासिक धर्म पिछले पॉच वर्ष से आ रहा है, आखिरी 13 जनवरी 2021 में आया था। पीड़िता के अनुसार दो लड़के उसे ले गये थे, सौरभ व विवेक व एक अन्य ले गये व बलात्कार किया।

बाह्य परीक्षण– दायी ऑख के पास चोट है, उल्टे हाथ के कंधे के पास लाल निशान थे व सूजन हथेली पर थी।

अन्दरूनी जॉच– हाइमन पुरानी फटी हुई थी, कोई नई चोट नहीं थी। प्राइवेट पार्ट के पास कोई चोट नहीं थी।

पैथोलोजी के दस नमूने लेकर परीक्षण हेतु व पहले तीन कपड़े एफ0एस0एल0 को भेजे थे, कागज संख्या 8क/6 परीक्षण पर उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर है, शिनाख्त करती हूॅ, प्रदर्श क–8 डाला गया।

विद्वान बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गई तो इस साक्षी ने कथन किया कि सप्लीमैन्ट्री रिपोर्ट संलग्न नहीं है, पैथोलोजी रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाये गये है या नहीं, वह नहीं बता सकती। प्राइवेट पार्ट पर कोई नई चोट नहीं थी, यदि कोई व्यक्ति सिर पर सामान लेकर जा रहा है कठोर करीली वस्तु गिर जाये तो पीड़िता के जो चोट है वह आ सकती है। बलात्कार की घटना हुई है या नहीं वह नहीं बता सकती। हाईमन पुराना फटा है जो साईकिल चलाने व कुछ दौड़ने से भी आ सकती है। पीड़िता ने जो बताया था वहीं उसने उसके शब्दों में लिखा है। बयान के नीचे पीड़िता के हस्ताक्षर नहीं है।

16 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–04 डॉक्टर रश्मि रानी, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि One Vaginal Smear Slide पीड़िता पुत्री राजू खॉ निवासी बिसारा खैर, की जो कि डॉक्टर नाजिया खान एम0ओ0 पी0एच0सी0 घण्टर चौक द्वारा बनायी गई थी, दिनांक 02–02–2021 को प्राप्त हुई, Slide को माइक्रोस्कॉप में देखने पर कोई शुकाणु नहीं दिखायी दिये। यह रिपार्ट उसके हस्तलेख मे है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि पैथोलोजी रिपोर्ट में कोई मानव शुक्राणु नहीं मिले। इसके अलावा उसने कोई जॉच नहीं की।

17 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–05 पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, अपना नाम लिख लेती है और अगॅूठा निशानी भी लगाती है। घटना चार साल के लगभग की है, घटना सुबह हुई थी। वह अपने घर से जंगल में गोबर डालने गई थी। उसके साथ सौरभ और विवेक खेत पर नहीं मिले थे, सौरभ ने खेत में ले जाकर गलत काम उसके साथ नहीं किया था, नईम उसका फूफा का लड़का है, वह आया नहीं था, गॉव वालों ने हल्ला मचा दिया था। वह गोबर लेकर गिर गई थी, उसके साथ मारपीट नही की थी, गॉव वालों के हल्ला पर पापा आ गये थे, उसने पापा से कुछ नहीं कहा था, वह पापा के साथ थाने नहीं गई थी। कागज संख्या 7क/1 को पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, कहा यह उसका ही है, फिर पुलिस वाले मैडीकल के लिये ले गये थे, मैडीकल में जॉच हुई और बयान हुआ था। न्यायालय के आदेश से सील बंद बयान खोला गया तथा फोटो व हस्ताक्षर को पहचाना, कहा कि यह उसका ही फोटो और हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया, पढ़कर बयान सुनाया, तो कहा कि यही बयान दिया है।

इस साक्षी को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गई तो इस साक्षी ने कथन किया है कि वह अपेन पिता के साथ थाने नहीं गई थी। उससे लेडीज पुलिस ने बयान पूछा था, बयान पुलिस वालों ने घर पर पूछा था, मैडीकल कराने के लिये पुलिस वालों के साथ गई थी और कोई साथ नहीं गया था, उसने पुलिस वालों से कहा था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, उससे डॉक्टर साहब ने पूछा था, उसने घटना के बारे में नहीं बताया था, उसके पिताजी ने गॉव वालों के कहने पर एफ0आई0आर0 लिखा दी थी, उसने पुलिस वालों से मना किया था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। घर पर पुलिस दो बार आई थी, बयान एक बार लिया था, डॉक्टर साहब ने अगूँठा लिया था।

विद्वान बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गई तो इस साक्षी ने कथन किया है कि यह बात सही है कि उसने छेड़छाड़ और बलात्कार वाली घटना के सम्बंध में कुछ नहीं बताया था। न्यायालय ने जो उसने बयान दिया था, वह सही हुआ था, जो आज बयान दे रही हूँ, वह सही बयान दे रही हूँ, धारा 161 द0प्र0सं0 के बयान को पढ़कर सुनाया तो दरोगाजी को बयान उसने नहीं दिया था, कैसे लिख लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकती। उसने डॉक्टर को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था, न पूछा, न उसने बताया था, जिस समय वह डॉक्टरी के लिये आयी थी, उस समय और भी लोग भी मौजूद थे। मैडीकल रिपोर्ट पर जो उसके कथन अंकित है, ऐसा उसने डॉक्टर को नहीं बताया था। उसके गॉव के लोग डॉक्टर से बात कर रहे थे।

इस साक्षी ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया गया कि उसके पिताजी ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी है, वह गॉव वालों के कहने पर लिखायी है। मैडीकल गॉव वालों के कहने पर कराया था। वह गोबर लेने गई थी, वह गिर गई थी तार के खरोंच से चोट आयी थी, उसने पुलिस वालों को बयान दिया था, लेकिन उसके साथ घटना नहीं घटी है। गॉव वालों के चक्कर में पहले राजीनामा हुआ था, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है।

18 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–06 नईम, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हस्ताक्षर करता है, लड़की पीड़िता उसकी रिश्ते में बहन लगती है, मामा की लड़की है। वह भी मामा के गॉव में रहता है, घर अलग अलग है। घटना किस तारीख की है, तारीख पता नहीं है, लेकिन तीन चार साल पूर्व की है। वह अपने घेर में खूटा गाड़ रहा था तथा वहॉ खेत पर शोर गुल हुआ, तब वह भागकर गये, वहॉ पर आदमी इकट्ठा थे, उसने वहॉ पर कुछ नहीं देखा, लेकिन लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि पीड़िता के साथ बलात्कार हो गया, तो हम लोग वहॉ मौके पर गये, तो हमने सौरभ को नहीं देखा, वहॉ पर लड़की पीड़िता थी, गोबर पाथने गई थी, वह कपड़ा पहने थी, उसने उसे कुछ नहीं बताया। उसने यह नहीं बताया कि सौरभ ने उसके साथ बलात्कार किया है।

इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गई तो इस साक्षी ने कथन किया कि दरोगाजी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था, गवाह को धारा 161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि दिनांक 01–02–21 को बयान पढ़कर सुनाया कि दिनांक 01–02–21 को समय 09:30 बजे वह शीशम के पेड़ खेत पर गया तो वहॉ आवाज आयी तो देखा कि सौरभ उसके मामा की लड़की पीड़िता के कपड़े उतार कर गलत काम करे भाग रहा था, उसने पीड़िता से कहा कि चलो कपड़े पहन लो उसी समय उसके मामा राजू भी आ गया फिर हम लोग पीड़िता को घर लेकर आये और सारी घटना बतायी, यह बयान उसने दरोगाजी को नहीं बतायी, कैसे लिख लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकता फिर दिनांक 21–02–21 को उसका बान धारा 161 द0प्र0सं0 लिखा है वह भी दरोगाजी को नहीं दिया कैसे लिख लिया वह नहीं बता सकता। उसे नहीं पता कि राजू ने मुकदमा क्या लिखवाया था, उसे यह भी नहीं पता कि सौरभ इस मुकदमा में जेल गया था या नहीं। इस घटना के बाद राजू और उसकी कोई बात नहीं हुई। यह बात गलत है कि उसके सामने पुलिस वाले गॉव आये हो और घटना के बारे में उससे पूछा हो। उसे यह भी ध्यान नहीं है कि पीड़िता को चोट लगी थी या नहीं। गॉव में क्या समझौता हुआ या नहीं उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि वह मुल्जिमानों से मिल गय हो और मिलकर आज सही बात न बता रहा हूँ।

विद्वान बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह की गई तो इस साक्षी ने कथन किया कि पीड़िता उससे दो साल बड़ी है। उसकी जानकारी में सौरभ ने पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं की, न उसने अपनी ऑखों से देखा है। यह कहना सही है कि गॉव की पार्टीबंदी है। यह बात सही है कि पार्टीबंदी की वजह से झूॅठा मुकदमा कायम हो जाते है। पीड़िता और वादी उसके धर्म के है और उसके रिश्तेदार है तथा मुल्जिम दूसरे धर्म का है, उसे तारीख के बारे में पीड़िता ने गवाही के लिये बताया था, वह दो तीन दिन पहले तारीख करने के लिये आयी थी।

19 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–07 डॉक्टर खानचन्द्र द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पीड़िता का आयु प्रमाण पत्र दिनांक 12–02–2021 को जारी किया गया है, चिकित्सीय बोर्ड द्वारा जारी किया है। चिकित्सीय बोर्ड में डॉक्टर दुर्गेश कुमार अध्यक्ष, डॉक्टर राजीव रेडियोलोजिस्ट व डॉक्टर एस0के उपाध्याय आर्थो सर्जन थे, पीड़िता की लम्बाई 132सी0मी0 तथा वजन 49 किलोग्राम दॉत 14/14 X एक्सप्लेट, रिपोर्ट नम्बर एमएलपीएल– 164/2021 दिनांक 03–02–2021, 1. एक्सरे एल्वो– फ्यूज्ड, नी–फ्यूज्ड, रिस्ट कलाई– अनफ्यूज्ड, विलेजीक्लि–अनफ्यूज्ड, उपरोक्त फाइडिग के अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 16–17 है, आयु प्रमाण पत्र पर पीड़िता का फोटो एवं अगूॅठा निशानी डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा स्वयं प्रमाणित है, उसने उनके साथ काम किया है, वह उनके हस्ताक्षर को भली भांति जानता है। पत्रावली में पेपर संख्या 8क/1

मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि पीड़िता की उम्र में एक साल के अन्तर ऊपर नीचे हो सकती है। पीड़िता की उम्र 18 साल हो सकती है।

20 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–08 डॉक्टर निर्मल सिंह, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02–02–2021 को उसकी तैनाती मलखान सिंह अस्पताल में अलीगढ़ में रेडियोलोजिस्ट के पद पर थी। उस दिन उसने पीड़िता पुत्री राजू खान 17 साल की महिला निवासी बिसारा थाना खैर जिला अलीगढ़, का एक्सरा बॉये हाथ का किया था, पीड़िता को पुलिस द्वारा लाया गया था, पीड़िता के बॉये गाल पर एक काला तिल था, पीड़िता का एक्सरा प्लेट नम्बर एमएलपीसी 163 दिनांकित 02–02–2021 एक्सरा बॉये हाथ का साधारण पाया गया था, एक्सरा रिपोर्ट उसके द्वारा बनायी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पत्रावली में पेपर संख्या 8क/2 वही एक्सरा रिपोर्ट को मूलप्रति है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, मूल एक्सरा रिपोर्ट पीड़िता की है जिसकी शिनाख्त करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि चोट किस प्रकार से आ सकती है, वह नहीं बता सकता तथा चोट की प्रकृति सामान्य है। कोई फ्रैक्चर नहीं है, ऐसी चोट गिरने से भी आ सकती है।

21 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी पी0डब्लू0–09 डॉक्टर अमित कुमार, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 1–02–2021 को उसकी ड्यूटी जिला अस्पताल मलखान सिंह हॉस्पीटल के आकस्मिक विभाग अलीगढ़, में थी। उसकी ड्यूटी के दौरान समय 08:10 पर पीड़िता उम्र 17 वर्ष, पुत्री श्री राजू खॉ, निवासी बिसारा थाना खैर जिला अलीगढ़, को महिला कॉ0. 2598 मनीषा चोटिल अवस्था में लेकर आयी। इसके चेहरे पर दायी तरफ तिल का निशान था। कुछ निम्नलिखित चोटें थी।

1. नीलगू निशान 2X1 से0मी0 साइज था, जो दायी ऑख से नीचे था,
2. नीलगू जिसका माप 4X2 से0मी0 था, जो बायी तरफ पर सामने की तरफथा,
3. एक सूजन जिसका माप 4X2 से0मी0 था, जो बाये हाथ पर थी, जो बाये हाथ की हथेली पर थी, जिसक टेण्डरनेस व हाथ को चलाने में तकलीफ बता रही थी, एक्सरे बाये हाथ के लिये भेजा गया था, चोटें सामान्य प्रकार की थी, एक्सरे सामान्य था, जिसमें कोई फ्रैक्चर नहीं था, चोट की अवधि ताजा थी, चिकित्सीय रिपोर्ट प्रपत्र 8क/4 पर प्रदर्श क–13 पर अंकित किया गया। जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सिर पर वस्तु लेकर जा रहा हो, और पत्थर से ठोकर लगकर गिर जाये, तो यह चोट आना सम्भव हो सकती है।

22. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विद्वान अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त सौरभ के विरूद्व अन्तर्गत धारा 376, 323 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से

बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विरचित आरोप को साबित किये जाने हेतु अभियोजन को निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु संदेह से परे साबित करने का दायित्व है।

1. क्या घटित घटना की तिथि को पीड़िता अल्पवयस्क थी?

2. क्या अभियुक्त सौरभ द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता अवयस्क के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर उसकी इच्छा के विरूद्व जबरन बलात्संग कर लैंगिक हमला कारित किया गया?

निष्कर्ष

23. अवधार्य बिन्दु संख्या 01 कि क्या घटित घटना की तिथि को पीड़िता अल्पवयस्क थी, का निस्तारणः– प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया जाना है कि क्या घटित घटना के दिनांक 01–02–2021, जैसा कि तहरीर प्रदर्श क–1, में अभिकथित किया गया है, पीड़िता अल्पवयस्क/नाबालिग थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जरनल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ए0आई0आर0 2013, सुप्रीम कोर्ट, 3467,** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि पीड़िता की आयु का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय यह है कि **किशोर न्याय (बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम) की धारा 94** आयु निर्धारण किये जाने की प्रक्रिया के सम्बंध में प्रावधान उपबंधित करती है, जिसके अन्तर्गत आयु निर्धारण में प्रथम वरीयता विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण–पत्र को दिया जायेगा और इसके अभाव में निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण–पत्र तथा उपरोक्त दोनों के अभाव में आयु, का अवधारण समिति या परिषद् के आदेश पर की गयी अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण जॉच के आधार पर किया जाएगा।

24 प्रश्नगत प्रकरण में तहरीर प्रदर्श क–1 में प्रथमसूचक राजू खॉ, द्वारा घटना के दिनांक 01–02–2021 को पीड़िता की उम्र लगभग 15–16 वर्ष होना कहा गया है तथा पीड़िता द्वारा अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–10, के बयान में अपनी उम्र 18 वर्ष तथा पढ़ी लिखी नहीं होना कहा गया है। साक्षी पी0डब्लू0–05 के रूप में पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं को पढ़ा लिखा होना नहीं कहा गया है तथा अपना नाम लिख लेना कहा गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर पीड़िता का कोई शैक्षणिक प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है, तथा पीड़िता की आयु के सम्बंध में पत्रावली में मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़, द्वारा व्यक्त किया गया अभिमत प्रपत्र प्रदर्श क–11, संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित है कि दिनांक 12–02–2021 को पीड़िता की आयु के सम्बंध में परीक्षण किया गया तथा पीड़िता की आयु 16–17 वर्ष के मध्य होना अभिकथित किया गया। प्रपत्र प्रदर्श क–11,

चिकित्सीय अभिमत बावत आयु पीड़िता को अभियोजन के साक्षी पी0डब्लू0–07 डॉक्टर खानचन्द्र, द्वारा इन कथनों के साथ साबित किया गया है कि पीड़िता के एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के एल्बो, नी फ्यूज्ड़ थी और कलाई के जोड़ अनफ्यूज्ड़ था। साक्षी पी0डब्लू0–07 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी तथ्य कहा गया है कि पीड़िता की उम्र लगभग 16 से 17 वर्ष है। जिरह में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उम्र में एक साल का अन्तर ऊपर नीचे हो सकता है तथा पीड़िता की उम्र 18 साल हो सकती है। निर्णयज विधि **Dhirendra Patel alias Jony vs State Of U.P on 6 February, 2019 Case:- CRIMINAL APPEAL NO. 4988 of 2016** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि It is settled principle of law that if there is two years of variation of age according to medical report then margin of two years on either sode may be taken into consideration as it was held in the case of **Jaya Mala vs. Home Secretary, Government of Jammu and Kashmir and others, reported in AIR 1982 Supreme Court 1297.** As such two years benefit be given in favour of the appellant- accused, the age of the prosecutrix girl will be 18 to 19 years. It is very clear that if two years benefit is given to the appellant- accused about the age of the prosecutrix certainly in the prosecutrix will be held major. Further in the case of **Government Appeal No. 2072 of 2011, State Of U.P vs Santosh Singh vide judgement and order dated 6.7.2012,** it was held by the Division Bench of this Court that benefit of three years will go in favour of tha accused appellant.

25 उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रस्तुत मामलें में पीड़िता की आयु के सम्बंध में की गई चिकित्सीय परीक्षण दिनांकित 12–02–2021 में पीड़िता की आयु 16 से 17 वर्ष के मध्य होना दर्शित किया गया है। चूॅकि उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्वान्त में आयु के सम्बंध में चिकित्सीय परीक्षण में व्यक्त किये गये अभिमत में दो वर्ष का अन्तर होना स्वीकार किया जायेगा और इसका लाभ अभियुक्त पक्ष को प्रदत्त किया जायेगा। चूॅकि प्रस्तुत मामलें में तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना दिनांक 01–02–2021 की है। अतएव प्रतिपादित सिद्वान्त के प्रकाश में चिकित्सीय अभिमत में पीड़िता की व्यक्त किये गये आयु में वेरियेशन को दृष्टिगत किया जावें, तो पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष से अधिक होना स्वीकार किया जायेगा। उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में पीड़िता घटित घटना के दिनांक बालिग होना निष्कर्षित की जाती है। अवधार्य बिन्दु संख्या 01 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

26. <u>अवधार्य बिन्दु संख्या 02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त सौरभ द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता अवयस्क के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्संग कर लैंगिक हमला कारित किया गया, का निस्तारण</u>:–

प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे है अथवा नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार प्रथमसूचक राजू खॉ, द्वारा घटना दिनांक 01–02–2021 को समय करीब साढ़े आठ बजे का होना कहा गया है, तथा अपनी पुत्री/पीड़िता उम्र 15–16 वर्ष को अपने घर से प्रेमपाल के खेत के पास रास्ते के किनारे गोबर डालने जाना, और वहॉ पर अभियुक्त सौरभ द्वारा अपने अन्य दो साथियों के साथ पीड़िता को खेत में जबरन खेत में पकड़कर ले जाना और पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना, तथा शोर सुनकर घटनास्थल पर नईम को पहॅुचना और उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किया जाना व नईम के कपड़े फाड़ दिया जाना, कहा गया है।

27 तहरीरकर्ता राजू खॉ, अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, साक्षी पी0डब्लू0–01 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर में अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया है, जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि घटना के समय वह अपने घर पर था, उसने घटना नहीं देखी, उसकी बेटी का धारा 164 द0प्र0सं0 का बयान हुआ था, यह सही है कि पुलिस ने मुकदमा झूॅठा पाते हुये अंतिम आख्या लगायी थी, साक्षी द्वारा जिरह में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 30–09–2021 को उसने शपथपत्र दाखिल किया था, जिसमें उसने अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने सम्बंधी प्रार्थनापत्र दिया था, साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके गॉव में पार्टीबंदी है, एक पार्टी बंटी की है, और एक पार्टी कप्तान की है, और भी पार्टी है। इस प्रकार इस साक्षी के समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह विदित है कि यह साक्षी घटित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, अपितु यह साक्षी घटना के समय अपने घर पर मौजूद था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा यह भी तथ्य स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने हेतु उसके द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। चूॅकि साक्षी घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, तथा इस साक्षी द्वारा प्रस्तुत मामलें में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने सम्बंधी शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथित तथ्यों का समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप विश्वसनीय समर्थन होना नहीं पाया जाता है।

28. अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–06 नईम, जिसे तहरीर में घटनास्थल पर उपस्थित होना तथा उसके साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट किया जाना, एवं उसके कपड़े फाड़ दिया जाना कहा गया है, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता को अपने रिश्ते की बहन होना कहा गया है तथा इस साक्षी द्वारा घटना के सम्बंध में कथन किया गया है कि जब वह शोर गुल सुनकर पहुॅचा, तो उसने वहॉ कुछ नहीं देखा, कुछ लोग कह रहे थे कि पीड़िता के साथ बलात्कार हो गया, हम मौके पर गये तो सौरभ को नहीं देखा था, तथा पीड़िता द्वारा उसे यह नहीं बताया गया था कि सौरभ द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया है। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गई है, जिरह में इस साक्षी द्वारा अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में दरोगाजी को दिये गये बयान के सम्बंध में कथन किया गया है कि यह बयान उसने दरोगाजी को नहीं बताया था, कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकता। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसे यह ध्यान नहीं है कि पीड़िता को चोट आई है अथवा नहीं। विद्वान बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसकी जानकारी में नहीं है कि अभियुक्त सौरभ द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। इस प्रकार इस साक्षी को तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना कहा गया है तथा इस साक्षी के साथ अभियुक्त द्वारा मारपीट किया जाना कहा गया है, किन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य कार्यवाही के माध्यम से न तो पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्कार सम्बंधी किये गये अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और न ही अपने साथ मारपीट किये जाने सम्बंधी तथ्यों की सम्पुष्टि की गई है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप का विश्वसनीय समर्थन होना नहीं पाया जाता है।

29 चूॅकि घटना पीड़िता के साथ घटित हुई है, अर्थात् घटित घटना की सर्वोत्तम साक्षी पीड़िता है। पीड़िता को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–05 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य में आये तथ्यों का विश्लेषण किये जाने के पूर्व पीड़िता के अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में आये तथ्यों के अवलोकन से यह विदित है कि पीड़िता द्वारा अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–10, के बयान में कथन किया गया है कि घटना के दिनांक 01–02–2021 को वह सुबह 09:30 बजे गोबर पाथने बड़े कुॅए पर गई थी, वहॉ पर दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे, हल्ला सुनकर हमारे ही गॉव के दो तीन लोग आ गये थे, हमारे पापा राजू भी आ गये, हमारे पापा ने लड़ाई वाली घटना देखी थी, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, उसके पापा ने गलत एफ0आई0आर0 लिखा दी थी। इस प्रकार अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 में पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप का समर्थन नहीं किया गया है, तथा पीड़िता द्वारा घटनास्थल पर अपने पिता की उपस्थिति के सम्बंध में

तथ्य कहे गये है, जबकि पीड़िता के पिता द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–01 के रूप में घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी सम्बंधी तथ्यों की सम्पुष्टि नहीं की गई है।

30 न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाना है कि क्या पीड़िता द्वारा दौरान विचारण अपनी साक्ष्य कार्यवाही के माध्यम से अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप का समर्थन किया है। साक्षी पी0डब्लू0–05 के रूप में पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, में घटनास्थल पर अभियुक्त सौरभ व विवेक का खेत पर मौजूद ना होना कहा गया है, तथा अभियुक्त सौरभ द्वारा उसके साथ गलत काम नहीं किया जाना कहा गया है और घटना के समय स्वयं को गोबर लेकर गिर जाना, और अपने साथ मारपीट नहीं होना कहा गया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर विद्वान अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गई है, जिरह में इस साक्षी द्वारा मैडीकल कराने पुलिस वालों के साथ जाना कहा गया है और यह भी कथन किया गया है कि उसने पुलिस वालों से कहा था कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ था तथा एफ0आई0आर0 उसके पिता द्वारा गॉव वालों के कहने पर लिखा था। विद्वान बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उसने छेड़छाड़ और बलात्कार वाली घटना के सम्बंध में कुछ नहीं बताया था। मैडीकल रिपोर्ट पर जो बयान अंकित है, वह बयान उसने डॉक्टर को नहीं बताया था। उसके गॉव के लोग डॉक्टर से बात कर रहे थे। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि वह गोबर लेने गई थी, गिर गई थी, तार के खरौच से चोट आई थी। गॉव वालों के चक्कर में पहले राजीनामा हुआ था। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अन्तर्गत धारा 164 द0प्रसं0 के बयान एवं अपनी साक्ष्य कार्यवाही में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने एवं मारपीट किये जाने सम्बंधी तथ्यों का विश्वसनीय समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार घटित घटना की सर्वोत्तम साक्षी के साक्ष्य कार्यवाही में आये तथ्यों के अवलोकन से भी अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप का विश्वसनीय समर्थन होना नहीं पाया जाता है।

31 इस प्रकार उपरोक्त अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य में आये तथ्यों के विश्लेषण से यह विदित है कि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण क्रमशः पी0डब्लू0–01 राजू खॉ, पी0डब्लू0–05 पीड़िता एवं चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–06 नईम, द्वारा अपनी साक्ष्य कार्यवाही के माध्यम से अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप का विश्वसनीय समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामलें में अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर नाजिया खान, साक्षी पी0डब्लू0–03 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। साक्षी नाजिया खान द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 01–02–2021 को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना कहा गया है। पीड़िता के बाह्य शारीरिक परीक्षण में पीड़िता के दायी ऑख के पास चोट होना, उल्टे हाथ के कन्धे के पास

लाल निशान, व हथेली पर सूजन होना बताया गया है। अन्दरूनी जॉच में हाईमन पुराना फटा होना, कोई नई चोट नहीं होना व प्राईवेट पार्ट पर कोई चोट नहीं होना कहा गया है। जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि कठोर कटीली वस्तु पर गिर जाने से पीड़िता को चोट आ सकती है, बलात्कार की घटना हुई है या नहीं, इस सम्बंध में कुछ नहीं कह सकती। अग्रेतर जिरह में साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि हाईमन पुरानी फटी है, जो साईकिल चलाने से, कूदने व दौड़ने से भी हो सकती है। अभियोजन के एक अन्य साक्षी पी0डब्लू0–04 डॉक्टर रश्मी रानी, पैथोलोजिस्ट, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में यह तथ्य कहा गया है कि पीड़िता से प्राप्त सैम्पल में परीक्षण उपरान्त कोई शुक्राणु नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य एवं पैथोलोजी रिपोर्ट में आये तथ्यों के अवलोकन से पीड़िता के साथ हुए बलात्कार सम्बंधी तथ्यों की निश्चयात्मक पुष्टि नहीं होती है।

32 प्रस्तुत मामलें में अभियोजन प्रपत्र प्रदर्श क–12, के अवलोकन से यह विदित है कि दौरान विवेचना पीड़िता के बाये हाथ का एक्सरे करवाया गया, तथा एक्सरे रिपोर्ट में आये तथ्यों के सम्बंध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–08 डॉक्टर निर्मल सिंह, द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि एक्सरे रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं है तथा चोट सामान्य है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले एक अन्य डॉक्टर अमित कुमार, द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–09 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दौरान चिकित्सीय परीक्षण पीड़िता के शरीर पर नीलगू निशान 2X1 से0मी0 साईज दायी ऑख के नीचे, नीलगू निशान 4X2 से0मी0 बायी बाजू पर सामने बाहरी की तरफ, एक सूजन 4X2 से0मी0 बाये हाथ पर होना पाया गया। चोट की अवधि को चिकित्सक द्वारा ताजा होना कहा गया तथा सभी चोटें कुन्द आले से आना सम्भव होना कहा गया है। जिरह में इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि कोई व्यक्ति जो वस्तु सिर पर लेकर जा रहा हो, और किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाये, तो यह चोट आना सम्भव है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यद्यपि दौरान चिकित्सीय परीक्षण पीड़िता के शरीर पर उपरोक्त चोटें आना पायी गई, किन्तु पीड़िता द्वारा बतौर साक्षी पी0डबलू0–05 के रूप में अपने साक्ष्य में न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर यह तथ्य कहा गया है कि वह गोबर लेने गई थी, गिर गई थी, तथा तार की खरौच से चोट आई थी। इस प्रकार पीड़िता द्वारा अपने शरीर पर खरौच व चोट आने में अभियुक्त की किसी भी प्रकार की भूमिका का ना होना कहा गया है। इस प्रकार पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में आये तथ्यों से यह निष्कर्षित नहीं होता है कि पीड़िता के शरीर पर चोटें पहुॅचाने में अभियुक्त की भूमिका रही हो। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 43ख रिपोर्ट थाना खैर जिला अलीगढ़, द्वारा प्रेषित आख्या के अवलोकन से यह विदित है कि प्रस्तुत मामलें में सम्बंधित थाने द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गई है कि ना तो माल मुझ है0 कॉस्टेबिल को दिया गया, और ना ही माल रजिस्टर में दाखिल है, और ना ही विधि विज्ञान

प्रयोगशाला भेजा गया। इस प्रकार सम्बंधित थाने की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सम्बंधित विवेचक द्वारा पीड़िता से प्राप्त सैम्पल को एफ0एस0एल0 परीक्षण हेतु नहीं प्रेषित किया गया है, जो कि विवेचक की लापरवाही को दर्शित करता है। जहॉ तक प्रश्नगत प्रकरण के विवेचक साक्षी पी0डब्लू0–02 योगेन्द्र कुमार, निरीक्षक, के साक्ष्य में आये तथ्यों का प्रश्न है, इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अपराध का न पाते हुये प्रस्तुत मामलें में अंतिम आख्या प्रेषित किये जाने सम्बंधी तथ्य कहा गया है।

33 उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा **महाराष्ट्र राज्य बनाम चन्द्रप्रकाश केवलचन्द्र जैन, (1990)1, SCC उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू (2005) 3, SCC 594, पंजाब राज्य बनाम गुरूमीत सिंह, (1996) 2 SCC 384,** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि यौन अपराधों विशेष तौर पर बलात्संग के मामलों में पीड़िता के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्व किया जा सकता है, किन्तु इसके लिये आवश्यक है कि पीड़िता शुरूआत से लेकर अपनी प्रतिपरीक्षा तक अपने साक्ष्य को देने के क्रम में निरन्तरता बनाये रखते हुये अभियोजन कथानक का लगातार समर्थन कर रही हो तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान भी वह मजबूती से अपने पूर्व कथन को बनाये रखें। इसी क्रम में यह भी आवश्यक है कि पीड़िता का साक्ष्य निरन्तरता बनाये रखते हुये भरोसेमंद, बेदाग, विश्वसनीय और गुणवत्ता की दृष्टि से बिल्कुल वास्तविक और खरा और यदि पीड़िता का साक्ष्य ऐसा है तो पीड़िता के साक्ष्य की अलग से सम्पुष्टि की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

34 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त के प्रकाश में प्रश्नगत प्रकरण को देखा जायें, तो प्रश्नगत प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–06 नईम द्वारा अपनी साक्ष्य कार्यवाही के माध्यम से घटित घटना में अभियुक्त की भूमिका/संलिप्तता का समर्थन नहीं किया गया है तथा स्वयं पीड़िता द्वारा अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान में एवं अपने साक्ष्य में अभियुक्त सौरभ का ना तो खेत पर मिलना और ना ही उसके साथ गलत काम किये जाने सम्बंधी तथ्यों की सम्पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के आन्तरिक चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–03 डॉक्टर नाजिया खान, द्वारा अपने साक्ष्य में बलात्कार की घटना घटित होने के बावत निश्चयात्मक अभिमत प्रकट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त दौरान विवेचना विवेचक साक्षी पी0डब्लू0–02 निरीक्षक, योगेन्द्र कुमार, द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामलें में दौरान विवेचना अपराध का घटित ना होना पाते हुये प्रस्तुत मामलें में अंतिम आख्या प्रेषित की गई। इस प्रकार अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियुकत पर अधिरोपित आरोप के समर्थन में भरोसेमंद, बेदाग, विश्वसनीय और गुणवत्ता की दृष्टि से बिल्कुल वास्तविक और खरा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रबल सम्भावना के आधार पर भी अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप स्थापित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समग्र निष्कर्ष के

आलोक में न्यायालय के मतानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त सौरभ के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323, 376 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त सौरभ आरोप अन्तर्गत धारा 323, 376 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, दोषमुक्त होने योग्य है। उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में अवधार्य बिन्दु संख्या 02 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

आदेश

1 विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या 2239/2021, मुकदमा अपराध संख्या 54/2021, अन्तर्गत धारा 323, 376 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, राज्य बनाम सौरभ, के मामलें में अभियुक्त सौरभ को अन्तर्गत धारा 323, 376 भा0द0सं0 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के पूर्व में दाखिल बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उसके जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। बाद मिंयाद अपील अथवा यदि अपील की जाती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार माल मुकदमाती विधि अनुसार निस्तारित किया जायें। अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत धारा 437ए द0प्र0सं0 के अनुपालन में दाखिल की गई जमानत एंव बंधपत्र छः माह तक प्रभावी रहेगें।

3 पीड़िता को अगर कोई प्रतिकर/मुआवजा प्राप्त हो तो उसकी नियमनुसार वसूली हेतु जिलाधिकारी को निर्णय की प्रति प्रेषित किया जायें।

दिनांकः–27–04–2026

(अनिल कुमार VIII)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो,
कोर्ट संख्या 01, अलीगढ़।
J.O. Code No. UP 6492

यह निर्णय, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–27–04–2026

(अनिल कुमार VIII)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो,
कोर्ट संख्या 01, अलीगढ़।
J.O. Code No. UP 6492

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.04.28 16:43:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court